

नियम 29 : अंतर्वर्ती आवेदन

स्थगत, निदेश, आदेश में सुधार, विलंब के लिए क्षमा, शीघ्र सुनवाई, अपील किए गए आदेश की प्रति प्रस्तुत करने से छूट या लंबित मामलों में मांगी गई समयावधि बढ़ाने के लिए प्रत्येक अंतरिम आवेदन में विहित **जीएसटीएटी प्रारूप-01** के अनुसार सभी सूचनाएं सम्मिलित होंगी और आवेदक को आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र फाईल करने से भिन्न इस संबंध में विहित अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।
